"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2016—— आश्विन 25, शक 1938

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक/4208/एफ 1-4/2013/रास/यू-16. —— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानानुसार आई. टी. एम. विश्वविद्यालय, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल प्रस्तुत करने हेतु कुलाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार खोजबीन-समिति का गठन किया गया है :-

1.	डॉ. बी. हनुमइह, पूर्व-कुलपति, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ. प्र.)	-	प्रयोजक निकाय (आई. टी. एम. विश्वविद्यालय) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद.
2.	प्रोफेसर शिववरण शुक्ल, सदस्य अकादमिक, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर (छ. ग.)	-	प्रयोजक निकाय (आई. टी. एम. विश्वविद्यालय) द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद.
3.	श्री हिमांशु द्विवेदी, संपादक, हरिभूमि.	-	उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित ख्यातिप्राप्त व्यक्ति.

2. कुलाध्यक्ष द्वारा डॉ. बी. हनुमइह को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति यह अधिसूचना प्रसारित होने से आठ सप्ताह की समयावधि में न्यूनतम पांच ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का पेनल माननीय कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.